न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 32/2025 बउनवानी मोहर सिंह **बनाम** लो.सू.अधि.एवं प्रभारी अधि. भू.अभिलेख पुत्र शिवजीलाल गुर्जर निवासी ग्राम टोटोलाई पोस्ट बूचोलाई तह0 तलावडा

GCMS No-2025/ 122

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
27.5.2025	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 18.3.2025 को लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी भू0अ0 अनुभाग कलेक्ट्रेट सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर" *ग्राम टोटोलाई के साबिक ख0न0 12,17,28,105 इत्यादि को लेकर कुल 7 बिन्दुओ की सूचना* " प्रभारी अधिकारी भू0अ0अनुभाग सवाईमाधोपुर से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1)के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी भू0अ0 अनुभाग सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी भू0अ0 अनुभाग सवाईमाधोपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस कमांकःप.14/7/3/सू.का.अ/भू.अ./2024/2819 दिनांक 27.5.2025 का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र दिनांक 18.3.2025 मे चाही गयी सूचना के संबंध में प्रभारी अधिकारी भू0अ0 अनुभाग के पत्रांक प.14/7/3/ सूकाअ/भू0अ0/2024/2444 दिनांक 30.4.2025 से अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है कि बिन्दु संख्या 1 की सूचना के लिए नियमानुसार प्रतिलिपि प्राप्त करने का आवेदन पत्र प्रस्तुत कर वांछित रिकार्ड का अवलोकन कर प्राप्त करे तथा बिन्दु संख्या 2 लगायत 4 एवं 6 मे चाही गयी सूचना जिला अभिलेखागार मे उपलब्ध नही होने के कारण सूचना दिया जाना सम्भव नही है इसके अतिरिक्त बिन्दु संख्या 5 व 7 मे चाही गयी सूचना प्रश्नात्मक होने के कारण देय नही है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत जवाब मे अंकित किया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है,कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 18.3.2025 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 2 लगायत 4 एवं 6 मे चाही गयी सूचना जिला अभिलेखागार मे उपलब्ध नही होने के कारण तथा बिन्दु संख्या 5 व 7 मे चाही गयी सूचना प्रश्नात्मक होने के कारण अपीलान्ट को दिया जाना सम्भव नही है। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि राजस्व ग्रुप –6 विभाग राजस्थान सरकार जयपुर की अधिसूचना दिनांक 30.5.2023 के अनुसार राजस्थान भू–राजस्व (भू.अ.) नियम 1957 के नियम 28 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड से संबंधित नकलो हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की प्रकिया District Manual and Revenue Court manual के अनुरूप होगी। अतः बिन्दु संख्या 1 की सूचना नकल प्राप्त करने का आवेदन पत्र प्रस्तुत कर प्राप्त कर सकता है। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। (शुभम चौधरी) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2025.06.25 18:13:55 IST
Reason: SelfAttested